राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur 313001
दूरभाष/Phones: 2415091,95 फैक्स/Fax: 0294-2522548

क्रमांक : निदे/अनिखा/पर्या/रीहेब-हेल्थ/2011-12/पार्ट-IV/209-229 दिनांक 18 .02.2015

अधीक्षण खनि अभियन्ता - जोधपुर/कोटा/भरतपुर/भीलवाड़ा/अजमेर/बीकानेर
खनि अभियन्ता - जोधपुर/नागौर/बिजोलिया/चित्तौड़गढ़/करौली/धौलपुर/बूंदी-I/II/बाड़मेर/बीकानेर
सहायक खनि अभियन्ता - बालेसर/बाराँ/चुरू/झालावाड़/रूपवास

विषय:- सैण्ड स्टोन खनन पट्टों/क्वारी लाइसेन्स क्षेत्रों में वेट ड्रिलींग एवं डस्ट मास्क के उपयोग एवं प्रचार-प्रसार बाबत् ।

प्रसंग:- वित्त (कर) विभाग बैठक कार्यवाही विवरण कमांक एफ.2(27)एफ.डी./टेक्स/ 12/पार्ट दिनांक 18.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सिलिकोसिस पर विशेष प्रतिवेदन (दिसम्बर, 2014) पर मुख्य सचिव महोदय की समीक्षा बैठक दिनांक 03.02.2015 के दौरान लिये गये निर्णय के कार्यवाही प्रतिवेदन में यह अंकित किया है कि "**Prevention of Silicosis:-** It was decided that Mines Department would issue public appeal for adoption of wet drilling and use of masks. It would also start cancelling of licenses of mines from 01.03.2015, for those cases, which do not follow wet drilling, registration of mine workers and filling of form No. 1 (notice of opening) as per the Section 16 of Mines Act, 1952. "

निदेशालय के पूर्व सम पत्र कमांक 137-162 दिनांक 06.02.2015 के कम में लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार में उपरोक्त निर्णय की पालना दिनांक 01.03.2015 से करने हेतु अपील एवं विज्ञप्ति समाचार - पत्रों में तत्काल प्रकाशित करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जावें:-

1. खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स क्षेत्रों में वेट ड्रिलींग एवं डस्ट मास्क का उपयोग करने हेतु सभी पट्टाधारियों को नोटिस जारी कर पाबन्द किया जावें ।
2. खान मजदूरों का पंजीयन एवं खनन पट्टाधारी से Opening of Mines से सम्बन्धित फॉर्म नम्बर 1 (माईन्स एक्ट सेक्शन 16) की पूर्ति करवाई जावे ।

उपरोक्त निर्णय की पालना नहीं करने वाले खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स को निरस्त करने की कार्यवाही दिनांक 01.03.2015 से की जावें ।

उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की प्रगति से दिनांक 01.03.2015 से प्रति सप्ताह निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें ।

भवदीय
18-2-15
(डी.एस. मारू)
निदेशक खान

D:\e&d\e&d\J.R.A\Rehab\Rehab (2).doc